आधिक्य माँग की समस्या को दूर करने के उपाय

जब समग्र माँग पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो आधिक्य माँग की स्थिति होती है। आधिक्य माँग के माप को स्फीति अन्तराल कहते हैं। यदि समग्र माँग में स्फीति अन्तराल जितनी कमी कर दी जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। समग्र माँग दो तरीकों से कम कर सकते हैं।

(i) सरकारी व्यय में कमी द्वारा

यदि सरकारी व्यय में कमी कर दी जाए तो समग्र माँग कम हो जाएगी। (C+I+G) वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगी। सरकारी व्यय में कमी स्फीति अन्तराल के बराबर होनी चाहिए ताकि पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर हो जाए।

(ii) फर्मों द्वारा किए गए निवेश व्यय में कमी द्वारा

केन्द्रीय बैंक सुरक्षित निधि अनुपात को बढ़ाकर, बैंक दर को बढ़ाकर तथा खुले बाजार के कार्यकलापों द्वारा फर्मों द्वारा किए जाने वाले निवेश को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकता है। (इन विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा अगली इकाई में की गई है) निवेश व्यय कम होने से समग्र मांग कम हो जाएगी और इससे आधिक्य मांग की समस्या का समाधान हो जाएगा।

इकाई 8

मुद्रा का विकास

विनिमय के माध्यम का कार्य करने वाली वस्तु मुद्रा है। प्राचीन समय में विश्व के विभिन्न देशों में पशुओं, कृषी पदार्थो, धातुओं आदि का विनिमय के माध्यम के रूप से प्रयोग किया जाता था। आज की दुनियाँ में क़ागजी मुद्रा यानि करेंसी नोट का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है लेकिन आज भी कहीं कहीं अन्य वस्तुओं जैसे कृषी उत्पाद व धातु आदि का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग दिखाई देता है। भारत के बहुत से गाँवों में काम के लिये अनाज की प्रथा आज भी प्रचलन में है। इससे यह स्पष्ट है कि एस साथ कई विनिमय के माध्यम प्रचलन में हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से एस ही वस्तु विनिमय का माध्यम होती है।

क्योकि एक ही समय कई वस्तुएँ विनिमय का माध्यम होती थी मुद्रा के विकास का अध्ययन हम मुख्य विनिमय माध्यम के विकास के संदर्भ में करेंगें। 18वीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न वस्तुएँ विनिमय का माध्यम थीं। इनमें धातुओं विशेषकर सोने व चाँदी का उपयोग समय के साथ साथ बढ़ता गया। 1750 के दशक में कागजी मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ। 1750 से 1930 तक मुख्य रूप से सोने व चाँदी को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था लेकिन इस अवधि मं कागजी मुद्रा का प्रयोग भी बढ़ता गया। इस अवधि में सोने व चाँदी का मुद्रा के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता था?

इसके कई कारण थे। मौद्रिक सौदों जैसे क्रय, विक्रय, ऋणों के लेन देन में ये धातु स्वीकार्य थे। इनकी पूर्ति भी सीमित थी। ये टिकाऊ भी थे। और इन्हें छोटी छोटी इकाईयों में विभक्त किया जा सकता था।

1930 से सभी देश विनिमय के माध्यम के रूप में कागजी मुद्रा का प्रयोग करने लगे। इसका मुख्य कारण सौदों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि था जिसके लिए बहुत अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ने लगी। सोने और चाँदी की पूर्ति सीमित थी जो सौदों में तीव्र वृद्धि के लिये अपर्याप्त थी।

विश्व में सोने व चाँदी का उत्पादन बढ़ते हुए सौदों के लिये अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त बड़े सौदों में इन्हे विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करना असुविधाजनक था जैसे सुरक्षा सम्बन्धी असुविधा, लाने व ले जाने में असुविधा।

इस प्रकार आज की दुनियाँ में कागजी मुद्रा प्रचलन में आई और विनिमय का माध्यम बन गई। लेकिन आज भी सम्पत्ति को सोने व चाँदी के रूप में रखा जाता है क्योकिं इन्हें आसानी से कागजी मुद्रा में परिवर्त्तित किया जा सकता हैं और ये टिकाऊ भीं हैं

वाणिज्य बैंक (Commercial banks)

ऋण देने या निवेश करने के उद्देश्य से जनता से जमाएँ स्वीकार करना और उसे मांगे जाने पर चैक, ड्राफ्ट या अन्य प्रकार से वापस करना बैंकिंग कहलाता है।

इस प्रकार बैंक दो मूलभूत कार्य करता है : जनता से जमाएँ स्वीकार करना जिन्हें चैक द्वारा वापस किया जा सकता है और ऋण देना।

बैंक एक वित्तीय संस्था है लेकिन सभी वित्तीय संस्थाएँ बैंक नहीं होती। केवल वही वित्तीय संस्थाएं बैंक कहलाती है जो चैक द्वारा वापस की जाने वाली जमाएँ स्वीकार करती हो और ऋण देती हो। कुछ वित्तीय संस्थाएँ चैक द्वारा वापस की जाने वाली जमाएँ स्वीकार करती है लेकिन ऋण नहीं देती, जैसे कि डाक-घर अतः इन्हें बैंक नहीं माना जाता। इसी प्रकार कुछ वित्तीय संस्थाएँ जनता से जमाएँ स्वीकार करती हैं, और ऋण भी देती है जैसे कि औद्योगिक वित्त निगम। लेकिन ये भी बैंक नहीं है, क्योंकि ये जो जमाएँ स्वीकार करती है उन्हें जमाकर्ता चैक द्वारा नहीं निकाल सकता अर्थात् ये चैक द्वारा जमाएँ वापस लेने की सुविधा प्रदान नहीं करती।

वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्य

1. जमाएँ स्वीकार करना

बैंक तीन प्रकार की जमाएँ स्वीकार करते है :

(i) चालू खाता जमाएँ : इस खाते में की गई जमाएँ माँग देय होती है। इन्हें चैक द्वारा वापस लेने पर कोई पाबंदी नहीं होती। सामान्यतः ये खाता व्यापारी खोलते हैं और इनसे व्यापार संबंधी लेन देन चैक आदि द्वारा करते हैं। इन खातों में जमा राशि पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता। बल्कि चैक आदि की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए नाम मात्र शुल्क लेता है। बैंक इन खातों से हुए सभी लेन-देनों का ब्यौरा रखता है और समय समय पर खाताधारी को उसके खाते की प्रतिलिपि प्रदान करता है।

(ii) स्थिर या सावधि जमाएँ : बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकार की गई जामाओं को सावधि जमाएँ कहते हैं। ये अवधि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षो तक की हो सकती है। ये जमाएँ मांग पर देय नहीं होती और इन्हें चैक द्वारा नहीं निकाला जा सकता। केवल नियत अवधि पूरी होने पर ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है (इन जमाओं पर ब्याज दिया जाता है।)

सावधि जमाओं का एक अन्य रूप **आवर्ती जमा** भी है। इन खातों के धारक एक निश्चित अवधि तक पूर्व-निर्धारित राशि प्रतिमाह जमा करते हैं (उदाहरणः) 5 वर्षो तक 100 रूपये महीना)। इन जमाओं पर भी ब्याज दिया जाता है।

(iii) बचत खाता जमाएं : इन खातों में चालू खातों ओर सावधि खातों की विशेषताओं का सम्मिश्रण होता है। इन्हें मांग पर और चैक द्वारा आहरित किया जा सकता है। किंतु निश्चित अवधि में जारी किए गए चैकों की संख्या सीमित रहती है। इन पर कुछ ब्याज दिया जाता है-पर उसकी दर सावधि खाते से कम होती है।

मौद्रिक विश्लेषक जमाओं के दो ही प्रकार मानते हैं-**मांग जमा** तथा **सावधि जमा।** मांग जमाएं मांग पर या चैक द्वारा आहरित होती है। इस प्रकार केवल मांग जमाएं ही विनिमय का माध्यम हो सकती हैं, क्योकि, उनका स्वामित्व चैक के माध्यम से किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। अन्य ऐसी सभी जमाएं जो मांग देय नहीं होती सावधि जमा मानी जाती हैं।

इस प्रकार सभी चालू जमाएं मांग जमाएं होगी और सभी सावधि जमाएं समय पूरा होने पर देय जमाएं होगी। बचत खातों का इस स्पष्ट वर्गीकरण के अनुसार विभाजन सहज नहीं हो पाता क्योंकि इनमें मांग और सावधि के लक्षणों का सम्मिश्रण रहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कसौटी की रचना की है जिसके आधार बचत खातों की जमाराशी का मांग जमा और सावधि जमा वर्गो में विभाजन किया जाता है। यह कसौटी हैः बचत खातों के जिस

औसत मासिक शेष पर ब्याज दिया जाता है, वह सावधि जमा होगी– इससे अधिक राशी को मांग जमा माना जाएगा।

2. ऋण देना

बैंक जमा के रूप में संग्रहित राशियों को बेकार नहीं पड़े रहने देते। इनका एक अंश सुरक्षित कोष के रूप में रख कर शेष अग्रिम और उधार के रूप में ग्राहकों को दे दिया जाता है। बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम और उधारों की निम्न किस्में होती हैं:

- **नकद साख** : इस विधि में उधार लेने के पात्र ग्राहक के लिए साख सीमा निर्धारित कर दी जाती है। यह सीमा बैंक द्वारा ग्राहक की साख अर्हता (अथवा साख सुपात्रता) के आकलन पर निर्भर रहती है। किंतु ग्राहक द्वारा इस सीमा तक की राशि का प्रयोग तो उसकी आहरण क्षमता पर निर्भर करता है। यह आहरण क्षमता ग्राहक की वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य पर निर्भर रहती है। इन परिसंपत्तियों में मुख्यत: उसके पास वस्तुओं के भण्डार–अर्थात कच्चे माल, अर्द्ध–निर्माण और निर्मित वस्तुओं के भण्डार तथा अन्य व्यवसायियों से प्राप्य (हुंडियां) राशियां सम्मिलित होती हैं। उधारकर्ता को अपने व्यवयाय और उत्पादक गतिविधियों के प्रमाण स्वरूप अपनी परिसंपत्तियों का पूरा विवरण बैंक के पास एस दस्तावेज के रूप में जमा करना पड़ता है। बैंक ऋण न चुकाए जाने की दशा में उस दस्तावेज में दर्शायी गई परिसंपत्तियों पर अधिकार करने की कार्यवाही कर सकता है। उधारकर्ता को ब्याज केवल आहरित या प्रयुक्त साख सीमा पर ही चुकाना होता है।

- **मांग–उधार** : ये ऐसे ऋण हैं जिन्हें बैंक जब चाहे वापस मांग सकता है। इनकी कोई नियत परिपक्कवता अवधि नहीं होती। ऋण की सारी राशि एक साथ ऋणकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती है। अत: इस सारी रकम पर ब्याज भी तुरंत लगने लगता है। इस प्रकार के ऋण शेयर बाजार के दलाल आदि मुख्यत: लेते हैं – क्योकि उनकी साख आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। इन ऋणों के लिए बैंक व्यक्तिगत गारंटी वित्तीय परिसंपत्तियों या वस्तु भण्डारों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करते है।

- **अल्पावधि ऋण** : अल्पावधि ऋणों मे व्यक्तिगत ऋण, काम चलाऊ पूंजी ऋण तथ अन्य प्राथमिकता प्राप्त (वरीयता) क्षेत्रों को दिए गए ऋण सम्मिलित होते है। ये भी प्रतिभूतियों के आधार पर दिए गए ऋण हैं तथा इनकी भी सारी राशियां एक साथ ऋणकर्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित हो जाती है। अत: सारी रकम पर ब्याज भी तुरंत लगना शुरू हो जाती है। इन ऋणों की वापसी पहले ही तय की गई शर्तो के अनुसार ऋण अवधि के दौरान सुविधाजनक किश्तो में अथवा अवधि पूरी होने पर एक साथ की जाती है।

  यही नहीं, बैंक अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ये सेवाएं भी प्रदान करते है।:

3. अधिविकर्ष

यह ग्राहक को अपने चालू खाते की राशि से किसी सीमा तक अधिक रकम का चैक जारी करने की सुविधा होती है। इसके लिए स्वीकार्य प्रतिभूतियां, खाताधारी की शेयर, ऋणपत्र, बीमा पालिसी आदि वित्तीय परिसंपत्तियां होती है। यह एक अस्थायी सुविधा होती है, इस पर ब्याज भी नकद साख से कम होता है। बैंक

इस ऋण की सेवा लागत कम मानते हैं क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियों को भुनाना (बेचकर नकदी पाना) भौतिक संपत्तियों की बिक्री कर पाने से कहीं अधिक सुगम होता है।

4. हुंडियों की कटौती

हुंडियां प्राप्त हुई वस्तुओं के मूल्य को चुकाने के दायित्व की स्वीकारोक्ति पत्र होती है। उदाहरण: व्यक्ति A ने B से कुछ वस्तुएं खरीदी और उसे तुरंत भुगतान नहीं किया। वह उसको एक स्वीकारोक्ति पत्र (हुंडी) लिखकर दे देता है, जिसमें इस लेन-देन की राशि और उसे चुकाए जाने की तिथि भी लिखी होती है। यदि B को तुरन्त नकदी की आवश्यकता हो तो वह अपने बैंक से उस हुंडी की कटौती करा सकता है। बैंक कुछ कमीशन या शुल्क काट कर हुंडी की शेष राशि B को सौंप देता है। हुंडी परिपक्कव होने पर बैंक A से उसकी पूरी रकम उगाह लेगा।

5. जमा राशियों का निवेश

बैंक अपने पास संग्रहित धन राशियों का तीन प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश भी करते है। ये है: सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ तथा अन्य प्रतिभूतियाँ। सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी हुंडियाँ और राष्ट्रीय बचत पत्र आदि होते है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकिग नियमन अधिनियम 1949 में सम्मिलित प्रतिभूतियाँ हैं। इनमें सरकार से संबंधित उपक्रमों जैसे कि, विद्युत मंडल, आवास मंडल की प्रतिभूतियां, भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंश पत्र आदि सम्मिलित है।

बैंको द्वारा सरकारी व अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में कुछ निवेश तो रिजर्व बैंक के वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिपूर्ती के कारण भी अनिवार्य रहता है। अक्सर बैंक इनमें कुछ न कुछ अधिक राशि लगाए रखते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इनके आधार पर रिजर्व बैंक से तुरंत उधार मिल सकता है। बैंकों द्वारा उधार और अग्रिमों की तुलना में कम ब्याज के बावजूद इन प्रतिभूतियों का धारण करने का एक ही आधार है: ये प्रतिभूतियां बहुत तरल होती हैं - इन्हें तुरंत ही नकदी में बदला जा सकता है।

6. बैंक अभिकर्ता के रूप में

अपने ग्राहकों से कुछ कमीशन के आधार पर बैंक उनके अभिकर्ता (agent)के रूप में भी काम करता है। बैंकों द्वारा अभिकर्ता के रूप में ये सेवाएं प्रदान की जाती है।

(1) नकद कोषों का हस्तांतरण - बैंक धनादेश, डाक धनादेश तथा तार धनादेशों के माध्यम से, अपने ग्राहकों के निर्देश पर दूर दराज के क्षेत्रों तक उनकी धन राशियों का बहुत सस्ते और आसानी से हस्तांतरण कर देते है।

(2) नकद संग्रहण : ग्राहकों के लिए चैक, धनादेश, हुंडियों आदि की रकम उनके दाताओं से वसूल करना बैंकों के सामान्य कार्यों का हिस्सा समझा जाता है।

(3) ग्राहकों की ओर से अंश पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय।

(4) ग्राहकों की ओर से अंश पत्रों पर लाभांश और ऋणपत्रों पर ब्याज वसूलना।

(5) ग्राहकों के निर्देश पर उनके बिलों, बीमा किश्तों आदि का भुगतान।

(6) वसीयतों के न्यासी और प्रबंधकर्ता का दायित्व निभाना।

(7) ग्राहकों को आयकर परामर्श देना और उनके आयकर दायित्वों के भुगतान की व्यवस्था करना।

(8) ग्राहकों की ओर से उनके पत्राधिकारी, प्रतिनिधि का कार्य करते हुए वायु तथा जल मार्ग से आवागमन हेतु आवश्यक पत्रको/दस्तावेजों की व्यवस्था करना।

7. अन्य कार्य

(1) विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय।

(2) पर्यटक चैक, उपहार चैक जारी करना।

(3) कीमती वस्तुओं को लॉकरों में संभालकर रखना।

(4) नए शेयर, आदि के निर्गम पर अविक्रित अंश को खरीदने का अश्वासन देना तथा निजी आधार पर चुने हुए निवेशकों के बीच प्रतिभूतियों की बिक्री की व्यवस्था करना।

उपर्युक्त सूची से यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि बैंक अपने ग्राहको को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते है

देश में आजकल चल रही उदारीकरण की प्रक्रिया में तो बैंको को अनेक ऐसे कार्य करने को प्रोत्याहित किया जा रहा है जिन्हें परंपरा से व्यावसायिक बैंकों का कार्य नहीं माना जाता था। इनमें विकास बैंकिग और बीमा व्यवसाय को सामान्य बैंक कार्यों से जोड़ना सम्मिलित है।

केंद्रीय बैंक

केंद्रीय बैंक देश की मैंद्रिक व्यवस्था का सिरमौर होता है। देश की मैद्रिक नीतियों की रचना और नियंत्रण ही उनका प्रमुख दायित्व होता है। भारत का केंन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है।

केन्द्रीय बैंक के कार्य इस प्रकार हैं:

1. करेंसी या मुद्रा निर्गमन का अधिकार

केन्द्रीय बैंक देश में मुद्रा जारी करने का एकधिकारी होता है। यह सारी मुद्रा वैधानिक दृष्टि से केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक देयता मानी जाती है। दूसरे शब्दों में केन्द्रीय बैंक पर सारी निर्गमित मुद्रा के समतुल्य मान की संपत्तियों का सुरक्षित भंडार रखने का दायित्व होता है। इन संपत्तियों में सोना, चांदी इनके बने सिक्के, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थानीय मुद्रा में निर्दिष्ट प्रतिभूतियां सम्मिलित रहती हैं।

देश की केंद्रीय सरकार को केंद्रीय बैंक से उधार पाने का अधिकार होता है। इसी अधिकार का प्रयोग कर सरकार स्थानीय मुद्रा में निर्दिष्ट अपनी प्रतिभूतियाँ केंद्रीय बैंक को बेच देती है। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। कारण यही है, जब भी केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों की खरीदारी करता है, वह इनके मान के समतुल्य मुद्रा जारी कर देता है। सरकार का यह अधिकार उसे अपनी ऋण आवश्यकताओं का मौद्रीकरण करने की सुविधा प्रदान कर देता है। सरकार के ऋण का मौद्रीकरण उसके नए-पुराने सार्वजनिक ऋण की गैर-मौद्रिक देनदारी को केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा में परिवर्तित कर उसे मौद्रिक देनदारी का स्वरूप प्रदान कर देता है।

मुद्रा को परिचलन में डालने या उससे निकालने का कार्य रिजर्व बैंक या बैंकिग विभाग करता है। उदाहरणत: सरकार ने अपने बजट में घाटा दर्शाया है। उसे पूरा करने के लिए यह केंद्रीय बैंक से उधार लेती है। यह उधार राजकोषीय हुडियां केंद्रीय बैंक को बेचकर लिया जाता है। बैंक इन हुडियों का भुगतान अपने पास मौजूद मुद्रा भण्डार में कमी करके या फिर नई मुद्रा छाप कर करता है। इस प्रकार मिले नोटों के नए बंडल खर्च करके सरकार उन्हें परिचलन में डाल देती है।

2. सरकार का बैंकर

केंद्रीय बैंक संघ एवं राज्य सरकारों का बैंकर होता है। यह उनके सारे बैंक संबंधी कार्य निपटाता है तथा सरकार भी अपने सारे चालू खाते के नकद कोष केंद्रीय बैंक के पास जमा रखती है।

सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक उसकी ओर से भुगतान स्वीकार करना, भुगतान करना, और विनिमय लेन-देन आदि के बैंकिय कार्यों का संपादन करता है। कई बार सरकार की प्रप्तियां उसकी तात्कालिक देनदारियों से कम रह जाती हैं। इस दशा में केंद्रीय बैंक ही उसे अल्पावधि ऋण प्रदान करता है। यह ऋण भी राजकोषीय हुडियों की बिक्री के माध्यम से ही दिए जाते है। अस्थायी या तदर्थ राजकोषीय हुडियों के माध्यम से अल्पावधि ऋण प्राप्त करने का कार्य तो सरकारें सामान्य रूप से करती रहती हैं (यह कोई विशेष घटना नहीं होती)।

सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक ही सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन का दायित्व निभाता है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी ऋण पत्रों का प्रबंधकीय कार्य यही बैंक करता है। यह सरकार को ऋण के आकार, समय और अन्य शर्तो के विषय में उचित परामर्श देता है

केंद्रीय बैंक सरकार को बैंकिंग और वित्तीय मामलों में परामर्श भी देता है।

3. बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षक

बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के नकदकोषों के एक अंश को अपने पास सुरक्षित रखता है, उन्हें अल्पावधि के लिए नकदी देता है और उन्हें केन्द्रीकृत समाशोधन और धनविप्रेषण सुविधांए प्रदान करता है। बैंको को अपनी निवल देयताओं के एक निश्चित अंश के समान राशि केंद्रीय बैंक के पास जमा रखनी पड़ती है (इसे नकद जमा अनुपात कहते हैं)। इस प्रावधान के पीछे इसे मौद्रिक और साख नियंत्रण के अस्त्र के रूप में प्रयोग करने का मन्तव्य ही प्रमुख रहा है। बैंक इसके अतिरिक्त भी कुछ न कुछ अधिक राशि केंद्रीय बैंक के पास जमा रखते हैं ताकि अप्रत्याशित समाशोधन तथा उनके अपने ग्राहकों द्वारा अतिशय आहरण से संभावित कठिनाइयों से निपटा जा सके। इस प्रकार जमा कोष का प्रयोग कर केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में उन बैंकों को उधार दे पाता है जिन्हें आवश्यकता हो।

केंद्रीय बैंक सभी वाणिज्य बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियमन और नियंत्रण भी करता है। इस नियमन में बैंकों को लायसेन्स जारी करने, शाखाओं के विस्तार, परिसंपत्तियों की तरलता, प्रबंधन, विलय और परिसमापन (बैंक को बंद करना) आदि कार्य सम्मिलित रहते है। नियंत्रण कार्य के लिए केंद्रीय बैंक समय-समय पर बैंको द्वारा जमा कराये गए परिपत्रों तथा अपने निरीक्षकों की रपटों का सहारा लेता है।

4. मुद्रा की आपूर्ति तथा साख का नियंत्रण

केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के बृहत्तरहितों मे मुद्रा और साख की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इस कार्य के लिए उसके पास कई नीति अस्त्र या माध्यम उपलब्ध रहते हैं। इन अस्त्रों को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक नीति अस्त्र कहा जाता है। आइए पहले परिमाणात्मक नीति अस्त्रों पर विचार करें:

1. **बैंक दर नीति :** यह ब्याज की वह दर है जिस पर अंतिम ऋणदाता (केंद्रीय बैंक) अन्य बैंकों को अनुमोदित या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर उधार देता है। इस दर में परिवर्तन का अर्थ है केंद्रीय बैंक से नकदी पाने की लागत में परिवर्तन। इस दर की वृद्धि का अर्थ है केंद्रीय बैंक से उधार की लागत में वृद्धि। इसके कारण बैंकों की साख निर्माण कर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने की क्षमता कम रह जाती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है: बैंक दर में वृद्धि होने पर वाणिज्य बैंक भी अधिक ऊँची ब्याज दर पर उधार देना चाहेंगे। इस कारण, व्यवसायी पहले की अपेक्षा कम उधार लेकर ही काम चलाने का प्रयास करने लगेंगे। परिणामत: बैंक साख की मांग में कमी आ जाएगी। इसके विपरीत बैंक दर में कटौती का प्रभाव एकदम उलटा होगा। व्यवहार में बैंक दर नीतियों की प्रभावोत्पादकता इन कारकों पर निर्भर करती है: (क) बैंको की उधार लिए गए कोषों पर निर्भरता (यह धनात्मक कारक है) (ख) बैंकों की उधार कोषों के लिए मांग की उनके द्वारा वसूली गई ब्याज दर तथा चुकाई गई दर के अंतर के प्रति संवेदनशीलता (यह भी एक धनात्मक कारक होगा) (ग) बाजार में अन्य ब्याज दरों में आए परिवर्तन, तथा (घ) अन्य स्रोतों से नकदी की मांग और आपूर्ति में हुए परिवर्तन।

2. **खुले बाजार की प्रक्रियाएं :** यह केंद्रीय बैंक द्वारा अपने विवेक से खुले बाजार में आम जनता तथा बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या उनसे इनकी खरीदारी होती है। विश्लेषण की दृष्टि से जनता या बैंकों को बिक्री में कई अंतर नहीं होता, क्योंकि अंतत: किसी बैंक के पास जमा धन राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास पहुँच जाता है। बैंकों को इन सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से उनके सुरक्षित कोष कम हो जाते हैं। बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों के निमित्त जारी चैकों की राशि उनके सुरक्षित कोष खाते से घटा दी जाती है। इससे बैंको की साख प्रदान कर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा पाने की क्षमता कम हो जाती है। जब, इसके विपरीत, केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों से प्रतिभूतियाँ खरीदता है तो उन्हें भुगतान स्वरूप अपने चैक प्रदान करता है, उससे बैंकों के सुरक्षित कोषों में वृद्धि होती है। यह वृद्धि प्रत्यक्षत: उनकी साख दे सकने की क्षमता को बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने में सहायक हो जाती है। मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में यह खुले बाजार की प्रक्रियाएँ तभी पूरी तरह सफल हो पाती हैं जब देश में उन प्रतिभूतियों का सक्रिय रूप से कार्यरत् बाजार विद्यमान हो। यदि बैंक नियमित रूप से अतिरिक्त तरल कोष अपने पास जमा रखते हों तो इस नीति की प्रभावोत्पादकता बहुत संदेहास्पद हो जाएगी।

3. **सुरक्षित कोष अनुपातों में परिवर्तन :** बैंकों को दो प्रकार के सुरक्षित कोष अनुपात बनाए रखने होते है। एक तो रिजर्व बैंक के पास **जमा नकद कोष** होता है (CRR)। दूसरे को **वैधानिक तरलता अनुपात** (SLR) कहा जाता है। नकद जमा अनुपात की राशि तो उन्हें केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में जमा करानी होती है। यह उनकी निवल मांग एवं सावधि देनदारियों का एक अनुपात होती है। इसमें परिवर्तन मौद्रिक और साख नियंत्रण का नीतिअस्त्र है। इस अनुपात की वृद्धि से बैंकों के पास उपलब्ध नकदी

कम हो जाती है, वे अधिक उधार नहीं दे पाते। इस अनुपात में कटौती बैंकों के पास उपलब्ध नकदी को बढ़ाकर उन्हे अधिक साख का सृजन करने में समर्थ बना देती है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बैंको को अपनी मांग और सावधि देयताओं के एक अंश को मान्य परिसंपत्तियों में लगाने को बाध्य करता है। इनमें सम्मिलित है: (क) अतिरिक्त नकद (ख) ऐसी सरकारी एवं अन्य प्रतिभूतियां जिनके आधार पर केंद्रीय बैंक से ऋण नहीं लिए गए हों, तथा (ग) अन्य बैंकों के पास चालू खातों में जमा राशियाँ। इस अनुपात में परिवर्तन बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने अथवा उनके आधार पर केंद्रीय बैंक से उधार ले पाने की स्वतंत्रता को प्रभावित करते है। इससे उनकी साख सृजन क्षमता, और परिणामत, मुद्रा की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। SLR की वृद्धि से साख सृजन क्षमता में कमी आती है।

आइए, अब हम गुणात्मक साख नियंत्रण नीति अस्त्रों पर भी कुछ विचार करें। ये साख के वैकल्पिक उपयोगों के बीच आबंटन को प्रभावित करते हैं।

1. **प्रतिभूति ऋणों पर उधार-प्रतिभूति अंतर लागू करना:** यह उधार प्रतिभूति अंतर ऋण की राशि और ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का अंतर होता है। यदि केंद्रीय बैक 40% अंतर का आग्रह करता है तो व्यवसायी बैंक प्रतिभूतियों के मूल्य के 60% के सामान ही उधार दे पाते है। इस प्रकार इस प्रतिभूति अंतर में परिवर्तनों के माध्यम से बैंकों द्वारा दिए जा रहे प्रतिभूति ऋणों की राशियां प्रभावित होती हैं। यह नीतिअस्त्र अनेक प्रकार से उपयोगी होता है। उच्च प्रतिभूति अंतरों से सट्टेबाजी पर अंकुश लगता है, बैंक साख का प्रयोग सट्टे की बजाय उत्पादक निवेश में अधिक हो पाता है। सट्टेबाजी में कमी से बाजर में प्रतिभूतियों की कीमतों के अनावश्यक उतार-चढ़ाव भी कम हो जाते है।

2. **नैतिक प्रबोधन :** यह केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों से अपनी नीतियों का अनुपालन कराने की दृष्टि से किए गए उपदेंशों और दबावों का मिला जुला स्वरूप है। इसे विचार विमर्श, पत्रों, अभिभाषणों तथा बैंकों को संकेतात्मक संदेशों के माध्यम से व्यवहारिक रूप दिया जाता है। केंद्रीय बैंक समय-समय पर अपनी नीतिगत स्थिति की घोषण कर बैंकों से उसके अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा करता है। यह नैतिक प्रबोधन साख नियंत्रण के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों स्वरूपों के लिए प्रयुक्त हो सकता है।

3. **चयनात्मक साख नियंत्रण :** इनका प्रयोग भी सकारात्मक एवं निषेधात्मक स्वरूपों में हो सकता है। सकारात्मक प्रयोग विशेष क्षेत्रकों को अधिक साख सुलभ करा सकता है। (मुख्यत : वरीयता क्षेत्रों को) इनके निषेधात्मक प्रयोग में किन्ही कार्यो के लिए साख दिए जाने पर पूरी रोक भी लगाई जा सकती है।

इकाई 9

पूँजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियाँ

जिन प्राप्तियों से या तो कोई दायित्व उत्पन्न होता है (जैसे कि ऋण लेना) या परिसम्पत्ति कम होती है (जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश) उन्हें **पूँजीगत प्राप्तियाँ** कहते हैं। जिन प्राप्तियों से ना तो कोई दायित्व उत्पन्न होता है और ना ही परिसम्पति कम होती है उन्हें **राजस्व प्राप्तियाँ** कहते हैं! करों से प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियाँ है।

पूँजीगत व्यय और राजस्व व्यय

वे व्यय जिनसे या तो परिसम्पत्ति का निर्माण हो (जैसे विद्यालय के भवन का निर्माण) या दायित्व कम हो (जैसे ऋण की अदायगी) **पूँजीगत व्यय** कहलाते हैं

ऐसे व्यय, जिनसे ना तो परिसम्पत्ति का निर्माण हो और ना ही दायित्व कम हो, **राजस्व व्यय** कहलाते हैं। (जैसे कि ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, राज्यों को दिए गए अनुदान)

विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय

सरकार द्वारा आवश्यक सामान्य सेवाओं (जैसे कि सुरक्षा, प्रशासन आदि) पर किए गए व्यय को गैर विकासात्मक व्यय माना जाता है। सरकार द्वारा कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक और सामाजिक सुविधाओं पर व्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर किया गया व्यय **विकासात्मक व्यय** माना जाता है।

संतुलित बजट (Balanced budget)

जिस बजट में अनुमानित प्राप्तियाँ और अनुमानित व्यय बराबर हो उसे संतुलित बजट कहते हैं।

आधिक्य बजट (Surplus budget)

जिस बजट में अनुमानित प्राप्तियाँ अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं उसे आधिक्य बजट कहते हैं।

घाटे का बजट (Deficit budget)

जिस बजट में अनुमानित प्राप्तियाँ अनुमानिता व्यय से कम होती है उसे घाटे का बजट कहते हैं। (नोट : अनुमानित प्राप्तियों में ऋण शामिल नहीं है।)

राजकोषीय घाटे के परिणाम

राजकोषीय घाटे का परिमाण यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितना ऋण लेना पड़ा। अधिक राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा अधिक ऋण लेना। ऋणों से ब्याज के भुगतान और ऋणों की अदायगी का भार पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। अधिक राजकोषीय घाटा स्फीतिकारक भी हो सकता है।

इकाई 10

स्थिर और परिवर्त्तनीय विदेशी विनिमय दरों के गुण व अवगुण

(Merits and demerits of fixed and flexible exchange rate)

स्थिर विदेशी विनिमय दर के गुण

1. इससे विदेशी मुद्रा की दर में स्थिरता आती है। निर्यातकों व आयातकों को विदेशी मुद्रा की दर में अनिश्चितता का भय नहीं होता। इससे विदेशी व्यापार बढ़ता है।

2. एक स्थिर दर विदेशी पूँजी को आकर्षित करती है। विनिमय दर के बारे में अनिश्चितता नहीं होती और पूँजीगत हानि का भय नहीं होता।

3. स्थिर विनिमय दर की स्थिति में पूँजी देश से बाहर नहीं जाती।

4. इससे विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी नहीं होती।

5. इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना पड़ता है क्योंकि मुद्रा स्फीति से भुगतान शेष में घाटे की स्थिति आ सकती है जिससे विदेशी मुद्रा के कोष कम हो जाते हैं।

स्थिर विदेशी विनिमय दर के अवगुण

1. यह मुक्त बाजार प्रणाली के उद्देश्यों के प्रतिकूल है।

2. इस प्रणाली के अन्तर्गत जिन देशों के भुगतान संतुलन में घाटा होता है उनके सोने और विदेशी मुद्रा के कोष खाली होने लगते हैं। इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन्हें अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ सकता है। दूसरी ओर जिन देशों के भुगतान संतुलन में अधिशेष होता है उन्हें मुद्रा स्फीति की समस्या का सामना करना पड़ता है।

3. इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा के अल्पमूल्यन या अतिमूल्यन की संभावना होती है। यदि नियत की गई विदेशी मुद्रा की दर बाजार दर से कम है तो विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाएगी। इससे भुगतान संतुलन में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि मुद्रा का अतिमूल्यन है अर्थात विदेशी मुद्रा की नियत दर से अधिक है तो भुगतान संतुलन में अधिशेष की स्थिति हो जाएगी। इससे मुद्रा स्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी विनिमय दर नियत करना बड़ा कठिन होता जो कि संतुलन दर हो।

परिवर्त्तनीय विदेशी विनिमय दर के गुण

1. इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्राओं के अल्पमूल्यन या अतिमूल्यन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। भुगतान संतुलन में घाटे या अधिशेष की समस्या स्वत: ही हल हो जाती है।

2. इससे सरकार को भुगतान संतुलन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

3. इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को विदेशी मुद्रा के कोष रखना आवश्यक नहीं होता।

4. इससे संसाधनों का अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम आवंटन होता है जिससे अर्थव्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ती है।

परिवर्त्तनीय विदेशी विनिमय दर के अवगुण

1. इस प्रणाली से अस्थिरता और अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इसके अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव संभव है। इसका विदेशी व्यापार और पूँजी के आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. इस प्रणाली के अन्तर्गत सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है जिससे अनिश्चितताएँ उत्पन्न होती है और विदेशी मुद्रा की दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव आ सकते हैं।

3. विदेशी मुद्रा की दर में अधिक उतार चढ़ाव के कारण अनिश्चितता का वातावरण बन जाता है जिसका विदेशी व्यापार व निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।